अनुदान संख्या 42 - प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42 - DIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	3071,18,00	3301,50,00	3285,56,28	-15,93,72
पूरक	Supplementary	230,32,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital :**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	809,28,00	809,29,00	424,50,91	-384,78,09
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				375,97,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	299440.00	321896.00	320347.25	-1548.75
पू.	S.	23032.00			
पु.	R.	-576.00			

(I) दिसंबर, 2012 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय" ₹262659.39 लाख के मूल प्रावधान को ₹6257.42 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹268916.81 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यालयों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किए जाने, किराया संशोधन और पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यालय संबंधित मदों और प्रकाशन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹4727.10 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "अन्य व्यय - विभागीय कैंटीन" - ₹1015.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹42.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1057.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण ₹15.30 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) "निदेशन और प्रशासन - अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" के अंतर्गत ₹516.86 लाख की बचत (₹10421.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कार्यालय संबंधी मदों और प्रकाशन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3973.56 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹23032.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) "निदेशन और प्रशासन" -

(I) Supplementary grant obtained in December, 2012 under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) "Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices"- the original provision of ₹262659.39 lakhs was augmented to ₹268916.81 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6257.42 lakhs which, however remained unutilised to the extent of ₹4727.10 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, shifting of offices in Government buildings, non-finalization of rent revision and rewards cases and requirement of less funds towards office related items and Publication.

(B) "Other Expenditure – Departmental Canteens"- the original provision of ₹1015.00 lakhs was augmented to ₹1057.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹42.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹15.30 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(II) Under "Direction and Administration – Research, Statistics and Publication" – saving of ₹516.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10421.99 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards office related items and publication.

2. The above savings were partly (₹3973.56 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹23032.00 lakhs in December, 2012 under the following heads:-

(I) "Direction and Administration" –

(का) "संगठन और प्रबंधन सेवाएं" - ₹1697.37 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1520.75 लाख था।

(A) "Organisation and Management Services" – ₹1697.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹1520.75 lakhs.

(खा) "आसूचना" - ₹1271.86 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1202.70 लाख था।

(B) "Intelligence" – ₹1271.86 lakhs. Actual excess, however, was ₹1202.70 lakhs.

(II) "संग्रहण प्रभार - आयकर" -

(II) "Collection Charges – Income Tax" –

(का) "आयकर और संपत्तिकर मामलों के लिए समझौता आयोग" - ₹419.33 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹401.94 लाख था।

(A) "Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases" – ₹419.33 lakhs. Actual excess, however, was ₹401.94 lakhs.

(खा) "प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकों का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय" - ₹585.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹500.03 लाख था।

(B) "Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" – ₹585.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹500.03 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	77748.00			
पू.	S.	1.00	42620.00	42099.61	-520.39
पु.	R.	-35129.00			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	3000.00	600.00	246.41	-353.59
पु.	R.	-2400.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - बने बनाए आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹35649.39 लाख की बचत (दिसंबर, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹77749.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन की खरीद संबंधी कुछ प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और दिल्ली नगर निगम को सिविक सेंटर भवन के लिए भुगतान को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी आवासीय भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन - बने बनाए फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत ₹2753.59 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय संपत्तियों की खरीद के कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹75.11 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत थी।

(I) Under Major Head "4059"- "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation"- saving of ₹35649.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹77749.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2012) was due to non-finalisation of some proposals for purchase of office buildings and deferment of payment towards Civic Centre Building to MCD to next financial year.

(II) Under Major Head "4216"- "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Ready Built Flats" - saving of ₹2753.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to non-finalisation of some proposals for purchase of residential properties.

(III) Under one head saving of ₹75.11 lakhs occurred constituting 42 percent of the sanctioned provision.